

स०स०-16/एम.1-60/2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवामे,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:-सुपौल जिला में कार्यरत नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सबध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 06/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-303(आ चि), दिनांक-14.03.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण तदुपरात आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरात स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-744(आ चि), दिनांक-19.07.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियोंको विभिन्न चिकित्सीय सस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला सयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/ आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ०चि०) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन की सूचना अवधि सहित निम्नवत है-

21/12/2024

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम एव पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GP F संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० प्रकाश कुमार दास होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, ग्वालपाडा	15 03 2024 से 19 07 2024 127दिन	शून्य	16112425056119	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में
2	डा० मधु कुमारी, होमियोपैथिक चि०पदा०	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, खखई किशनपुर	15 03 2024 से 19 07 2024 127 दिन	शून्य	23082425050635	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में
3	डा० अभिषेक कुमार होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अ०प्रा०स्वा० केन्द्र, लालगज, सरायगढ भपटियाही	16 03 2024 से 19 07 2024 126 दिन	शून्य	19112425056642	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में
4	डा० विभूति कुमार बिमल होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अ०प्रा०स्वा० केन्द्र, भपटियाही	18 03 2024 से 19 07 2024 124दिन	शून्य	15112425055853	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में
5	डा० मीनु कुमारी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अ०प्रा०स्वा० केन्द्र, डुमरी अचलपुर	16 03 2024 से 19 07 2024 128दिन	शून्य	16112425056153	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-16/एम.1-60/2025-596(आ.प्र.) प्रटना, दिनांक- 22.4.2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी/संबधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
अ०प्रा०स्वा०के०/संबधित होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/04/26
सरकार के अवर सचिव